भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 25 अप्रैल, 2021

भारत निर्वाचन आयोग का वक्तव्य

"कुछेक मीडिया वालों ने एआईटीसी की अध्यक्षा और पश्चिम बंगाल की माननीय सीएम द्वारा लगाए गए इन आरोपों की रिपोर्टिंग की है कि ईसीआई के कुछ अधिकारियों और प्रेक्षकों द्वारा "टीएमसी के गुंडों" को गिरफ्तार करने के अनुदेश दिए गए हैं। ईसीआई के अधिकारियों और प्रेक्षकों के लिए गए ऐसे बयान पूर्णतः निराधार, झूठे और भ्रामक हैं। आयोग के किसी भी प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अधिकारी द्वारा किसी भी दल(लों) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए ऐसे कोई भी अनुदेश नहीं दिए गए हैं।

यह भी रिपोर्ट किया गया है कि सीएम इस मामले को माननीय अदालत(तों) तक लेकर जाएंगी।

सीईओ, पश्चिम बंगाल के कार्यालय या आयोग को अभी तक ऐसे किसी अदालती मामले आने की रिपोर्ट नहीं मिली है, जहां किसी गैर-अपराधी के खिलाफ निवारक कार्रवाई की घटना सामने आयी हो। भ्रामक आख्यानों के अलावा किसी भी अदालती मामले को छोड़ दें, तो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर अवैध निवारक कार्रवाई की कोई विशेष घटना 25.4.21 तक नहीं हुई है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और हिंसा मुक्त निर्वाचन के संचालन के लिए ऐसे सभी शरारती तत्वों और हिस्ट्रीशीटरों की करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है, जो निर्वाचन को निष्फल करने का प्रयास करें।

विधि प्रर्वत्तक एजेंसियों द्वारा सीआरपीसी, आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो।

अतीत में निर्वाचन संबंधी अपराध में संलिप्तता सहित आपराधिक पृष्ठिभूमि पर आधारित उपद्रवियों की सूची का संकलन सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन राज्यों की विधि प्रर्वत्तक एजेंसियों के लिए स्थायी निर्देश हैं। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और की जानी चाहिए, जिनके पास किसी भी तरीके से वास्तविक मतदाताओं का डराने की क्षमता है।

निर्वाचनरत राज्यों के डीईओ, पुलिस आयुक्त, एसपी, प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग समीक्षा करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी सूचियों को समयबद्ध संकलित किया जाए और इन पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। उस मामले के लिए आयोग या प्रेक्षक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ऐसे मामलों में अनुदेश देते हैं।"

ह./-

(पवन दीवान)

अवर सचिव